

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी—

परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर
02 / 2014 / प्रा.पत्र / 2014

तारीख दायरा
11.09.2014

तारीख निर्णय
23.09.2022

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.....प्रार्थी

बनाम

- 1—श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल मैनेजर मैसर्स शंकर इण्डस्ट्रीज एफ—56,57 औद्योगिक क्षेत्र निवाई जिला टोंक निवासी कीर कॉलोनी चन्दा टाकिज के सामने निवाई जिला टोंक राज.
- 2—मैसर्स शंकर इण्डस्ट्रीज एफ—56,57 औद्योगिक क्षेत्र निवाई जिला टोंक
.....अप्रार्थीगण

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)

उपस्थित—

- 1—पेरोकार सरकार उप.।
- 2—अभिभाषक अप्रार्थी श्री विक्रम जैन उप.।

:-निर्णय:-

दिनांक 23.09.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.06.2014 को समय 04:45 पीएम पर मैसर्स शंकर इण्डस्ट्रीज एफ—56,57 औद्योगिक क्षेत्र निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मैनेजर होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु सरसों तेल कच्ची घाणी (Shankar-Gold) 910—910 ग्राम के 50 प्लास्टिक पोली पैक तैयारशुदा गोदाम में रखे हुये थे, जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह सरसों तेल कच्ची घाणी (Shankar-Gold) वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 910—910 ग्राम के 4 पोलीपैक खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 910—910 ग्राम के 4 पोलीपैक सरसों तेल कच्ची घाणी (Shankar-Gold) को एक—एक पैकेट के रूप में चार भाग (प्रत्येक भाग 910



1998


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

ग्राम) तैयार किए एवं चारों भाग हेतु चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-750 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर रिलिफ नं. आई-750 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर रिलिफ व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./14/2054 दिनांक 11.07.2014 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./269/एफ.एस.एस.ए./2014/279 दिनांक 23.06.2014 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया सरसों तेल कच्ची घाणी (**Shankar-Gold**) एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण मिथ्याछाप (**Mis-Branded**) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता/फर्म के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से दिनांक 24.04.2015 को श्री विक्रम जैन एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं जवाब पेश करने हेतु समय चाहा परन्तु जवाब हेतु कई अवसर देने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया। दिनांक 23.08.2022 को अभिभाषक उपस्थित हुए एवं जवाब पेश न कर बहस हेतु निवेदन किया। अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में जुर्म स्वीकार किया एवं अप्रार्थी पर न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेशोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेशोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस सरसों तेल कच्ची घाणी (**Shankar-Gold**) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में मिथ्याछाप (**Mis-Branded**) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेशोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया सरसों तेल कच्ची घाणी (**Shankar-Gold**) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (**Mis-Branded**) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के



विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 1,50,000/- (अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 23.09.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(परशुराम धानका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
टोंक-राज0